लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री आर॰एन॰ यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ,एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/09/2016 से 12/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

1. इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारीयों ने कार्यालय का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री हरबंश सिंह 26.07.2010 से 23.08.2015 तक

2- श्री आर. के. आजाद 24.08.2015 से वर्तमान तक

5- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- श्री ललित सिंह मेहरा के जी॰पी॰एफ॰ अभिलेख

10. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

11. संप्रेषित अवधि में मुख्य लेखा शीर्षों में कुल आवंटन एवं व्यय ।

o"kZ	eq[; ys[kk'kh"kZ	dqy vkoaVu ¼` yk[k esa½	dqy O;; ¼` yk[k esa½
2012-13	2401	197.22	197.22
2013-14	2401	185.14	185.14
2014-15	2401	184.80	184.80
2015-16	2401	201.49	201.49
2016-17 (upto	2401	239.54	86.71

08/2016)			

भाग-2(ब)

प्रस्तर:1 उपखनिज पर रायल्टी की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ` 59569.00 की शासकीय राजस्व की हानि।

उत्तराखंड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 162/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18/01/2013 अधिसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लिखित रायल्टी दरों को स्तम्भ-2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था तथा यह स्पष्टत: उल्लिखित था कि यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त/लागू होगी। अधिसूचनानुसार उपखनिजों बजरी(**sand**) की रायल्टी दर ` 90/- प्रति घन मी॰ तथा नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/वोल्डर्स (**stone**) पर ` 80/- प्रति घन मी॰ की दर से रायल्टी की कटौती कर संबन्धित उपखनिज राजस्व शीर्ष में जमा किया जाना था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों के नमूना जांच (09/2016) में पाया गया कि निष्पादित कार्यों, एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना में प्रयुक्त उपखनिजों **(Sand,Grite,Stone)** के लिए देय दर से रायल्टी धनराशि **`59569.00** की कटौती भुगतान बिलों से नहीं की गयी थी (अनुलग्नक: रायल्टी विवरण के अनु॰) जिससे देय रायल्टी सबंधित उपखनिज शीर्ष में जमा नहीं की जा सकी, परिणाम स्वरूप ` 59569.00 के शासकीय राजस्व की हानि पहुचाई गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि भविष्य में पालन किया जाएगा। विभाग में रायल्टी कि कटौती किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में नहीं थी, जिसके कारण रायल्टी की कटौती तद्समय नहीं की जा सकी। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि तद्समय कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के लिए देय रायल्टी की कटौती नहीं की गयी थी जिससे शासकीय राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार इकाई द्वारा उपखनिज पर रायल्टी की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ` 59569.00 की शासकीय राजस्व की हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1 ब्याज की धनराशि पासबुक में अवरुद्ध रखना।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 से वर्तमान तक की ब्याज की धनराशि को नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा होना चाहिए था, जोकि कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था। विभाग से इस संबंध में पूछने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि अनुपालन कर लिया जाएगा। अत: वित्तीय नियमों का अनुपालन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II